



कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC014882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र. का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकलि/सं.स.-दो/नीति/ 3559 जबलपुर, दिनांक 02 NOV 2021
आदेश

म.प्र.पाँ.जन.कं.लि. में अंतिम रूप से अंतरित पूर्ववर्ती मण्डल के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं म.प्र.पाँ.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्त कम्पनी संवर्ग के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश क्रमांक मु.अ. (मा.सं. एवं प्र.)/मप्रपॉजकलि/उ.स. दो/2349-50 दिनांक 27.06.2019 द्वारा सातवें वेतनमान में 12% (मूल वेतन पर) तथा छठवें वेतनमान में 154% (मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर) की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

02. म.प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1/2021/नियम/चार दिनांक 21 अक्टूबर 2021 एवं एफ-4-1/2021/नियम/चार दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के अनुरूप संचालक मण्डल की अनुमति की प्रत्याशा में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों/स्थायी कर्मियों को निम्नानुसार महंगाई भत्ता देय होगा :-


अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से	20% (वृद्धि 8%)
छठवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से	171% (वृद्धि 17%)

03. महंगाई भत्ते की गणना छठवे वेतनमान में वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग तथा सातवें वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन पर की जावेगी।

04. महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

05. माह अक्टूबर 2021 के महंगाई भत्ते की बढी हुई दर की राशि का भुगतान दीपावली के पूर्व किया जावेगा।

आदेशानुसार


(एस.एम. सोलापुरकर)
मुख्य अभियंता (उत्पा.)
कार्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पाँ.जन.कं.लि.,जबलपुर


पृ.क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकलि/सं.स.-दो/नीति/ 3560
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 02 NOV 2021

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

क्रमश:-02

2. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि./म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
3. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर ।
4. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.:उत्पा.)/(अभियांत्रिकी)/(कार्पोरेट सर्विसेस)/ (परियोजना उत्पादन)/(ईंधन प्रबंधन)/(सिविल अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/ (सामग्री प्रबंधन)/(संचा.संधा.-जल विद्युत), म.प्र.पॉ.वर जन.कं.लि. जबलपुर ।
5. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना/संगांतावि गृह/अताविगृह/सताविगृह/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी ।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. पॉ.वर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर ।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.वर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर ।
8. अति.मुख्य अभि.(उत्पा.भंडार)/टॉस हायडल काम्पलेक्स, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर/सिरमौर ।
9. कार्यपालक सहायक संबद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. भोपाल ।
10. अधीक्षण अभियंता (सिविल)/(उत्पादन), जल वि.संधा: एवं सर्वे एवं अन्वे/गांधीसागर/पंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/बाणसागर(-दो/तीन/चार)/मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/गांधीसागर/ तोतलाडोह/चंदेरी/बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलौंद/झिन्ना ।
11. मुख्य चिकित्साधिकारी, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. खण्डवा ।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी, श्री सिंगाजी ता.वि.परि./संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/टीएचसी, म.प्र.पॉ. जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/सिरमौर ।
14. सहा. अभियंता (आई.टी.), कार्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर - कंपनी की वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु ।
15. निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
16. स्थापना अनुभाग/आदेश नस्ती ।


(पी. के. जैन)

संयुक्त सचिव
कार्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर